ऑन लाईन नं.RCMS2021/53

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 02/2021

श्री महमूद अली , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री पंकज गर्ग पुत्र श्री नन्दलाल गर्ग, जाति गर्ग श्रीगंगानगर —विक्रेता—
   मै0 कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ—225—226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
2. श्री तिलक राज —भागीदार—
   मै0 कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ—225—226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री हनीशर्मा —भागीदार—
   फर्म0 मै0 मै0 कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ—225—226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
4. श्री रविकान्ता शर्मा —भागीदार—
   फर्म— मै0 मै0 कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ—225—226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. मै0 कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ—225—226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा (2)(2)/52 एवं कम संख्या 1. नमूना विक्रेता पर धारा 31(2)/58 अतिरिक्त

उपस्थित :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह भनोत, अधिवक्ता, अप्रार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक : 31.08.2021

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महमूद अली दिनांक 15.12.2020 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य करने हेतु अधिकृत है। उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज., जयपुर के आदेश क्रमांक : एफएसएसए/2018/444 दिनांक 14.05.2018 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी बीकानेर आवंटित किया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

श्रीमान आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर के आदेश कमांक:एफएसएसए/2020/937 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार अतिरिक्त कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर घोषित किया गया। जिला श्रीगंगानगर के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते थे। क्षेत्राधिकार , अधिसूचना तथा आदेश की छायाप्रतियां सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.12.2020 को दौराने गस्त 4.15 पी.एम. पर मै. कृष्णा इंडिबल ऑयल मिल्स, एफ–225–226, उधोग विहार, रिको, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा, अपना परिचय दिया, परिचय लिया तथा अपना परिचय पत्र दिखाया। वहां फर्म पर पंकज गर्ग पुत्र श्री नन्दलाल गर्ग (अग्रवाल) (विक्रेता) आम जनता को खाद्य पदार्थ सरसों का तेल (7 स्टार) पैक्ड 500 मिलीलीटर प्लास्टिक की बोतल आदि बेच रहे थे। विक्रेता से पुछने पर स्वयं को उक्त संस्थान का विक्रेता एवं तिलक राज शर्मा, हनी शर्मा, रविकान्ता शर्मा को फर्म का भागीदार होना बताया। विक्रेता से पता पूछने पर स्थायी निवासी 116, सिंधी कॉलोनी श्रीगंगानगर होना बताया। निरीक्षण के दौरान मौके पर वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा पत्र की छाया प्रति , जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति पेश की। उपस्थित गवाहान श्री दुर्गाराम पुत्र श्री देवीलाल शर्मा निवासी ग्राम सोमसीसर, तहसील तारानगर जिला चुरू (राज0) व श्री इन्द्रजीत पुत्र शुभकरण शर्मा निवासी बी–08, रिधी सिद्वी श्रीगंगानगर के समक्ष विक्रेता मालिक श्री पंकज गर्ग की उपिस्थति में फर्म का निरीक्षण किया, जहां फर्म में रखी 50 पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों का तेल (7 स्टार) पैक्ड 500 मिलीलीटर प्लास्टिक बोतल आम जनता को विकय वास्ते रखा हुआ था। उपस्थित गवाहान के समक्ष श्री पंकज गर्ग से उनके द्वारा विकय किये जा रहे सरसों का तेल (7 स्टार) पैक्ड 500 मिलीलीटर प्लास्टिक बोतल मिलावट का शक होने पर उक्त 50 पैक्ड प्लास्टिक बोतल में से 4 पैक्ड प्लास्टिक बोतल सरसों का तेल (7 स्टार) पैक्ड 500 मिलीलीटर प्लास्टिक बोतल नमूना संग्रह हेतू कय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 244/–रूपये (अखरे रूपये दो सौ चौमालीस मात्र) मेरे द्वारा विक्रेता श्री पंकज गर्ग को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर मेरे ,गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है। साथ ही विक्रेता को उसी समय फार्म नं. 5 पर जांच हेतु नमूना संग्रह करने की लिखित सूचना देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के–1146 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त तैयार लेबल में से एक–एक लेबल प्रत्येक पैक्ड प्लास्टिक बोतल पर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज से लपेट कर सिरों पर सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक भाग पर श्रीमान अभिहित अधिकारी (खाद्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर की हस्ताक्षर युक्त एक ही नम्बर की चार पेपर स्लिप प्रत्येक कोड व क्रमांक के–1146 गोंद से नियमानुसार चारो नमूना बोतलों पर पेंदे से सिरे तक घुमाते हुए पेंदे तक लगाकर गोलाई में गोंद से चिपकाई। उक्त प्रकार से तैयार प्रत्येक नमूना बोतल को उपरी नीचे व आजु बाजु धागे से बांध कर नियमानुसार नीचे , उपर व दांये–बांये 4–4 जगह पर चपड़ी से सील मोहर किया। प्रत्येक नमूना पर विकेता व गवाहान से नियमानुसार पेपर सिल्प को कॉस करते हुए इस प्रकार हस्ताक्षर करवाये फिर पेपर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के–1146 अंकित कर विवरण लिखकर मैने हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सील बंद नमूना भागों को अपने जाब्ते में लिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर सील से नमूना के–1146 सील बंद किया था। समस्त कार्यवाही गवाहान व विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की सात प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के–1146 अंकित कर विवरण लिखा फार्म नं 06 की दो प्रति एक लिफाफे में रखकर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर का पता अंकित कर सील मोहर किया। इस प्रकार तैयार आउटर कवर युक्त नमूने का एक भाग व सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा खाद्य विश्लशेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को दिनांक 17.12.2020 जमा करवाकर आउटर कवरयुक्त नमूनें की जमा रसीद व सिल्ड लिफाफा की रसीद ज्ञापन फार्म नम्बर 6 पर, जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की एक प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 15.12.2020 जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांकःएफएसएसए/2020/07–08 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/380/एक्ट/2020/382 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा विक्रेता श्री पंकज गर्ग से जांच हेतु क्रय किया गया सरसों का तेल (7स्टार) पैक्ड 500 मिलीलीटर प्लास्टिक बोतल नमूना संख्या के–1146 **मिसब्राण्ड** होना पाया गया। अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/07–08/दिनांक 19.01.2021 की पालना में अभियुक्त के विरूद्ध एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 04.06.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा इन आधारों प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थीगण के संस्थान मैसर्स कृष्णा इडिबल ऑयल मिल्स से Mustard oil का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लेबल व शुद्वता की जांच हेतु लिया गया था एवं Public Health Laboratory नर के द्वारा नमूना निम्नाकिंत कारणो से Mustarded पाया गया :-
Nutritional information:Given on the label but the quantity of urated Fat not given."

यह कि अप्रार्थीगण के संस्थान से जांच हेतु लिया गया Mustard oil का खाद्य और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने ulations के अनुसार शुद्वता की दृष्टि से निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शुद्व पाया और इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्वता नहीं पाई गई, लेकिन सैम्पल को branded उपरोक्त कारणों से बतलाया गया जो कि सही नहीं है।

1. अप्रार्थीगण के द्वारा Mustard oil के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानकों के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल Mustard oil की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है और जहां तक पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री के द्वारा यह आक्षेप है कि इसमें Fat की मात्रा नहीं दर्शाई गई, बिल्कुल गलत है, जबकि Nutritional Information में Fat की मात्रा 100 लिखी हुई है जिसको सम्भवतः दृष्टिविग्त कर दिया गया। लेबल की प्रति सलंग्न जवाब है। Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011 के अन्तर्गत अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का सैम्पल किसी भी प्रकार से Misbranded की श्रैणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के अन्तर्गत Misbranded की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का लेबल Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है।
2. शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लघना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है और द्वितीय लेबल के सन्दर्भ में स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form V A में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।
3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक होता है कि वह किसी प्रकृति का है।
4. शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का सैम्पल पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया। Fat के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का कोई आक्षेप रिपोर्ट में नहीं है एवं रिपोर्ट में यह स्वीकृति स्थिति है कि लिए गए सैम्पल की बोतल पर लेबल दिया हुआ है, लेकिन

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Misbranded का आधार केवल यह लिया गया है कि Fat की मात्रा अंकित नहीं है, जबकि Fat की मात्रा लेबल पर अंकित है ओर इस प्रकार लिए गए सैम्पल में किसी प्रकार की कोई अशुद्वता अथवा Regulation की Contravention नहीं है।

परिवाद में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को केवल मात्र इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वे फर्म कृष्णा एडिबल ऑयल मिल्स के भागीदार है, जबकि परिवाद में इनके सम्बन्ध में लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि ये फर्म के क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है अथवा दिनांक 15.12.2020 को लिए गए सैम्पल के समय फर्म कृष्णा एडिबल ऑयल मिल्स के कार्य व संचालन में ये सक्रिय भागीदार थे। अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रेता होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अधिनियम की धारा 66 के उपबन्धों की आज्ञापक पालना में अपेक्षित अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं होने के कारण इनके विरूद्व परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि परिवाद खारिज किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों का तेल (7 स्टार) सैम्पल के–1146 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/380/एक्ट/2020/382 दिनांक 23.12.2020 द्वारा **मिसब्राण्ड** होना पाया गया है। अभियुक्त से लिया गया सैम्पल में मिलावाट होना नहीं पाई गई है और न ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार मिसब्राण्ड पाये जाने पर अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safetu and Stamdards Act& 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि :–

1. अप्रार्थीगण के द्वारा Mustard oil के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानकों के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल Mustard oil की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है और जहां तक पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री के द्वारा यह आक्षेप है कि इसमें Fat की मात्रा नहीं दर्शाई गई, बिल्कुल गलत है, जबकि Nutritional Information में Fat की मात्रा 100 लिखी हुई है जिसको सम्भवतः दृष्टिविग्त कर दिया गया। लेबल की प्रति सलंग्न जवाब है। Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011 के अन्तर्गत अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का सैम्पल किसी भी प्रकार से Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है। अधिनियम की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के अन्तर्गत Misbranded की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का लेबल Misbranded की श्रेणी में नहीं आता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2. शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लघना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है और द्वितीय लेबल के सन्दर्भ में स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form V A में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।
3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक होता है कि वह किसी प्रकृति का है।
4. शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया Mustard oil का सैम्पल पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया। Fat के सम्बन्ध में भी किसी प्रकार का कोई आक्षेप रिपोर्ट में नहीं है एवं रिपोर्ट में यह स्वीकृति स्थिति है कि लिए गए सैम्पल की बोतल पर लेबल दिया हुआ है, लेकिन Misbranded का आधार केवल यह लिया गया है कि Fat की मात्रा अंकित नहीं है, जबकि Fat की मात्रा लेबल पर अंकित है ओर इस प्रकार लिए गए सैम्पल में किसी प्रकार की कोई अशुद्वता अथवा Regulation की Contravention नहीं है।
5. परिवाद में अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 को केवल मात्र इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वे फर्म कृष्णा एडिबल ऑयल मिल्स के भागीदार है, जबकि परिवाद में इनके सम्बन्ध में लेशमात्र भी उल्लेख नहीं है कि ये फर्म के कियाकलापों के लिए उत्तरदायी है अथवा दिनांक 15.12.2020 को लिए गए सैम्पल के समय फर्म कृष्णा एडिबल ऑयल मिल्स के कार्य व संचालन में ये सक्रिय भागीदार थे। अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रेता होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। अधिनियम की धारा 66 के उपबन्धों की आज्ञापक पालना में अपेक्षित अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं होने के कारण इनके विरूद्व परिवाद पोषणीय नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि परिवाद खारिज किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया सरसों का तेल (7स्टार) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 33(1)(zf)(C)(i) of Food Safetu and Stamdards Act& 2006 उल्लंधन का अपराध साबित होता है। जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री पंकज गर्ग को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। अभियुक्त श्री पंकज गर्ग को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में सरसों का तेल (7 स्टार) पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एण्ड लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना घोषणा अंकित करें ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान कि वे क्या खाद्य पदार्थ इस्तेमाल कर रहे है। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर